



# छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा, मण्डल रायपुर

क्रमांक 7273/मान्यता/2012-13

रायपुर, दिनांक 27/12/12

## मान्यता हेतु निर्देश

माध्यमिक शिक्षा मण्डल विनियम 1994 के विनियम सात एवं चौदह के अन्तर्गत प्रावधानित व्यवस्था के तहत निम्नासार मापदण्डों के अनुरूप अशासकीय शिक्षण संस्थाओं के सामान्य तौर पर मूलभूत सुविधाओं का होना अत्यंत आवश्यक है। इस हेतु निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं :-

### 1 भूमि-

- (1) संस्था की भूमि एवं भवन स्वयं के स्वामित्व के होना चाहिये। यदि स्वामित्व का नहीं है तो किराये भूमि/भवन होने पर किरायानामा प्रस्तुत करना होगा। किरायानामा न्यूनतम 3 वर्ष से कम का न हो, भूमिस्वामी के भूमि स्वामित्व का बी -1 खसरा एवं शाला के भूमि सह भवन का नक्शा नगर निगम/नगर पालिका निगम/नगर पंचायत/ग्राम पंचायत से प्रमाणित अनिवार्य है। नक्शों में भूमि भवन, कक्ष का क्षेत्रफल पृथक-पृथक दर्शाया जाना है।
- (2) यदि नई संस्था प्रारंभ करते समय संस्था की स्वयं की स्वामित्व की भूमि नहीं है तो भूमि क्रय करने एवं भवन निर्माण की कार्ययोजना प्रस्तुत करना होगा।
- (3) संस्था को प्रस्तुत कार्य योजना का तीन वर्ष में क्रियान्वयन करना आवश्यक होगा।
- (4) संस्था के पास अपने स्वामित्व की कम से कम दो एकड़ भूमि होना चाहिए।
- (5) यदि संस्था में कुल छात्र 1500 से अधिक है या प्रस्तावित है तो कम से कम 3 एकड़ भूमि होना आवश्यक है।
- (6) यदि शाला राजभोगी शहर में घनी बस्ती में है तो शाला परिसर कम से कम एक एकड़ में हो और छात्र-छात्राओं के खेलकूद की गतिविधियों के लिये निकटतम दूरी पर कोई खेलकूद का मैदान होना चाहिये।
- (7) अस्थाई व्यवस्था में भी कम से कम 1/2 एकड़ खूली भूमि खेल के लिये अनिवार्य रूप से हो।

### 2 भवन -

- (1) शाला भवन का निर्मित क्षेत्रफल हाईस्कूल के लिये न्यूनतम 2000 वर्गफीट व हायर सेकेण्डरी के लिये 2600 वर्गफीट होना अनिवार्य है। यदि संस्था प्राथमिक से लेकर हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी की कक्षाएँ चला रही हो तो न्यूनतम निर्मित क्षेत्रफल 4000 वर्गफीट होना चाहिये।
- (2) शाला भवन में निम्नानुसार न्यूनतम संख्या में कक्षाओं का होना अनिवार्य है :-
  - (अ) प्राचार्य, कार्यालय, स्टॉफ, पुस्तकालय व प्रयोगशाला (हाईस्कूल) के लिये एक-एक कक्ष अर्थात्-5 कक्ष
  - (ब) केवल हाईस्कूल के लिये कक्षाएँ

2 कक्ष  
कुल 7 कक्ष  
न्यूनतम

- नोट : 1 यदि संस्था को हायर सेकेण्डरी के लिये मान्यता लेना है तो विज्ञान संकाय के लिये तीन कक्ष प्रायोगशाला हेतु अतिरिक्त निर्माण कराना आवश्यक होगा।
- 1 जितने संकाय एवं सेक्शन होंगे, प्रत्येक सेक्शन के लिये एक-एक कक्ष निर्माण कराना होगा।
  - 2 45 छात्रों तक के लिये एक कक्ष, उससे अधिक संख्या होने पर प्रत्येक 45 छात्रों के लिये एक-एक कक्ष का अतिरिक्त निर्माण कराना आवश्यक होगा।
  - 3 एक सेक्शन में अधिक से अधिक 45 छात्र और कम से कम 15 छात्र होना आवश्यक है।
  - 4 छात्र-छात्राओं की पाठ्येत्तर गतिविधियों के लिये भवन में एक बरामदा या हाल होना आवश्यक है जहाँ संस्था के कार्यक्रमों को आयोजित किया जा सके।
  - 5 बड़ी एवं शहरी क्षेत्र की संस्थाओं में आध्यापन कक्षाओं का निर्माण इस प्रकार हो कि प्रत्येक छात्र को 8 वर्गफीट स्थान मिल सके। कस्बाई क्षेत्र में 6 वर्गफीट एवं ग्रामीण क्षेत्र में 4 वर्गफीट स्थान मिलना सुनिश्चित हों।
  - 6 यदि संस्था प्राथमिक अथवा मिडिल स्कूल चलाती है तो उन छात्रों की संख्या के अनुपात में अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था होनी चाहिये या दो पाली में चलाने पर उतने अनुपात में कक्षाएँ होनी चाहिये।
  - 7 भूमि एवं भवन का नक्शा प्राधिकृत व्यक्ति/ संस्था (नगर निगम/ग्राम पंचायत/नगर पालिका) द्वारा प्रमाणित होना चाहिये।

### 3 पेयजल व्यवस्था -

संस्था को शुद्ध एवं शीतल पेयजल की व्यवस्था कराना अनिवार्य है । शहरी क्षेत्र में खासतौर से नगर निगम क्षेत्र में, फिल्टर किया हुआ अथवा शीतल पेयजल की व्यवस्था हो । ग्रामीण क्षेत्र में ढका हुआ शुद्ध पेयजल या नलकूप भी मान्य किया जा सकता है ।

### 4 पुस्तकालय-

- 1 संस्था के पुस्तकालय में, पाठ्यपुस्तकों को छोड़कर शहरी क्षेत्र में कम से कम 3 पुस्तकें प्रति छात्र और ग्रामीण क्षेत्र में एक पुस्तक प्रति छात्र हो । पुस्तकालय के रख रखाव के लिये लायब्ररी अटेन्डेंट हो तथा छात्र-छात्राओं को लायब्रेरी कार्ड पर पुस्तकें ईशु करने की सुविधा उपलब्ध हो । ग्रामीण क्षेत्र में यह कार्य किसी शिक्षक को भी सौंपा जा सकता है ।
- 2 छात्र-छात्रायें, लायब्रेरी के कक्ष में बैठकर पत्र-पत्रिकायें पढ़ सकें, इस हेतु स्थान एवं फर्नीचर की पर्याप्त व्यवस्था हो ।

### 5 प्रयोगशाला ::

- 1 हाईस्कूल तक के छात्रों के लिये प्रयोगशाला का एक कक्ष होना आवश्यक है, जिसमें छात्रों के अध्यापन कार्य में अध्ययन हेतु शामिल किये गये सभी उपकरण उपलब्ध हो जिनका अवलोकन कराकर अध्यापन कार्य कराया जा सके । इसमें पर्यावरण से संबंधित, मानव आकृति से संबंधित सामग्री विशेष रूप से रखी जावे ।
- 2 हायर सेकेण्डरी में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान की पृथक-पृथक प्रयोगशाला होना आवश्यक है । प्रयोगशाला में इतना स्थान होना चाहिये जहां मेज के सामने खड़े होकर प्रयोग संपादित कर सकें ।
  - अ भौतिक शास्त्र में फिजीकल बैलेंस, प्रिज्म, गुटका, चुम्बकीय सुई, मीटर ब्रिज पोस्ट आफिस बाक्स, उत्तल, अवतल लेंस/मिरर, चुम्बक, पेंडुलम, वर्नियर कैलीपर्स, स्फेरोमीटर, गैल्वनोमीटर, स्क्रुगेज, एमीटर, ओम्स लॉ, जैसे उपकरणों की समुचित व्यवस्था हो ।
  - ब रसायन शास्त्र में एसिड रेडिकल्स एवं बेसिक रेडिकल्स ज्ञात करने के लिये परीक्षण हेतु आवश्यक सामग्री हो । टाईटेशन करने के लिये पर्याप्त मात्रा में ब्युरेट, पिपेट, कोनीकल फ्लाक्स, ट्यूब्स, ब्युरेट स्टेण्ड, फनल्स और बीकर्स की व्यवस्था हो ।
  - स कार्डेटा एवं नान कार्डेटा समूह के प्रत्येक फेमिली के स्पेसीमेन्स हो, जिनका छात्रों को अवलोकन कराया जा सके तथा डाईकाट एवं मोनोकाट पौधों के तनों के स्लाईड देखने हेतु माइक्रोस्कोप की व्यवस्था हो ।
- 3 हाईस्कूल स्तर तक की प्रयोगशाला के लिये प्रयोग संपादित करने हेतु एक लेब असिस्टेंट की व्यवस्था हो परंतु हायर सेकेण्डरी प्रयोगशाला के लिये पृथक-पृथक लेब असिस्टेंट की समुचित व्यवस्था हो ।

### 6 खेल का मैदान

संस्थाओं में कम से कम दो खेलों के ग्राउण्ड की व्यवस्था करना होगी, जैसे-हॉकी, फुटबाल, बालिबॉल, बैडमिंटन इत्यादि । शहरी क्षेत्रों में संस्थाओं को इन्डोर गेम्स के लिये भी व्यवस्था करना अनिवार्य है ।


### 7 प्रसाधन :

संस्था के छात्र-छात्राओं के लिये पृथक-पृथक टायलेट की व्यवस्था की जानी चाहिये । यथा संभव स्टाफ के लिये पृथक टायलेट की व्यवस्था हो । जिस संस्था में 100 से अधिक छात्र-छात्रायें हैं वहाँ प्रति 100 छात्र पर एक-एक अतिरिक्त टायलेट की व्यवस्था की जानी चाहिये । इसकी साफ-सफाई की समुचित व्यवस्था भी करना आवश्यक होगा ।

### 8 शैक्षणिक स्टाफ :

- 1 हाईस्कूल में प्राचार्य -01 तथा 06 व्याख्यता/शिक्षाकर्मी वर्ग -01, सहायक शिक्षक विज्ञान -01, लेखापाल/सहायक ग्रेड-02-01 सहायक ग्रेड -तीन -01, चौकीदार एवं स्वीपर -04 कुल 14 का स्टाप होना आवश्यक है । पर्याप्त संख्या में निर्धारित योग्यता प्राप्त अध्यापन स्टाफ एवं अन्य स्टाफ नियुक्ति अनिवार्य है । व्याख्याताओं एवं शिक्षकों की योग्यता प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रतियां, स्टाफ सूची सह संलग्न की जाना है ।

2. हाईस्कूल+हायर सेकेण्डरी में प्राचार्य 01, तथा 11 व्याख्याता/शिक्षा कर्मी वर्ग -01 एक ही संकाय के छात्रों को पढाने के लिये कम से कम प्रत्येक विषय पर एक व्याख्याता होना चाहिये । एक संकाय के बाद अन्य संकाय के प्रारंभ होने पर प्रारंभ होने पर प्रति संकाय 03 संबंधित विषय के व्याख्याता की नियुक्ति नहीं की गई है। व्यायाम शिक्षक/शिक्षा कर्मी वर्ग -02 -01 सहायक ग्रेड तीन -01 चौकीदार एवं स्वीपर -06 का स्टाफ होना आवश्यक है जहां 04 से अधिक सेक्शन है वहां संबंधित विषय के दो -दो व्याख्याताओं की नियुक्ति होना अनिवार्य है, व्याख्याताओं एवं शिक्षकों की योग्यता प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रतियां स्टाफ सूची संलग्न की जाना है।
- 9 **फर्नीचर व्यवस्था :**  
स्टाफ व कार्यालय फर्नीचर के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं के लिये भी कक्षाओं में फर्नीचर होना चाहिये । यह मेट/कुर्सी अथवा डेस्क/बैंच हो सकते हैं
- 10 **विद्युत व्यवस्था**  
जिन स्थानों में बिजली है वहां की शालाओं में बिजली व पंखों की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिये ।
- 11 **अक्षय निधि**  
अक्षयनिधि हेतु रुपये 30000/- तीस हजार रुपये जिला शिक्षा अधिकारी, एवं प्राचार्य के संयुक्त खाते में जमा होना चाहिये, संस्था के खाते में शहरी क्षेत्र हेतु बचत खाते में रु. 50.000/- एवं ग्रामीण क्षेत्र में 25000/- राशि होना चाहिए। जिससे आकस्मिक स्थिति में शिक्षकों को कम से कम तीन माह का वेतन किसी भी समय आवश्यकता पड़ने पर भुगतान कर सके
- 12 **वित्तीय व्यवस्था :**  
संस्था को वित्तीय व्यवस्था के संबंध में स्पष्ट विवरण देना होगा कि उनकी संस्था में प्रति वर्ष हुए व्यय की आपूर्ति किन-किन आय स्रोतों से की गई है, के विवरण मदवार दिये जायें ।
- 13 **अंग्रेजी माध्यम :-**  
यदि संस्था हिन्दी माध्यम के साथ अंग्रेजी माध्यम की कक्षायें भी संचालित करना चाहती है तो उसे अपनी अंग्रेजी माध्यम की शाला को अलग शाला मानते हुए उसकी मान्यता हेतु पूरी प्रक्रिया नवीन मान्यता के अनुरूप करनी होगी । उसके बाद ही अंग्रेजी माध्यम की संस्था का संचालन किया जा सकेगा ।
- 14 **अतिरिक्त संकाय :**  
अतिरिक्त संकाय/विषय के लिये निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन एवं निर्धारित शुल्क जमा करना होगा । अतिरिक्त संकाय हेतु विभागीय अनुमति, स्टाफ, प्रयोगशाला आदि की व्यवस्था होने पर अतिरिक्त संकाय की मान्यता जारी की जावेगी ।
- 15 **मण्डल से मान्यता प्राप्त संस्था को** विद्यालय के नाम पट पर छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल से मान्यता प्राप्त तथा मान्यता कोड का स्पष्ट उल्लेख किया जाना । मण्डल द्वारा जारी मान्यता प्रमाण पत्र प्राचार्य के कक्ष में अथवा कार्यालय में स्पष्ट दृष्टिगोचर स्थान पर प्रदर्शित करना होगा । इसका पालन संस्था को सुनिश्चित करना होगा ।



सचिव


छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल  
रायपुर

पृष्ठांकन क्रमांक / 7230 / मान्यता / 2012-13

रायपुर दिनांक 27/12/12

प्रतिलिपि

- 1 माननीय मंत्री महोदय, स्कूल शिक्षा के निजी सचिव की ओर सूचनार्थ ।
- 2 प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग / प्रमुख सचिव छत्तीसगढ़ शासन आदिम जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय रायपुर की ओर सूचनार्थ
- 3 आयुक्त / लोक शिक्षण / आयुक्त / आदिवासी विकास विभाग, की ओर सूचनार्थ
- 4 समस्त जिला शिक्षा अधिकारी / समस्त सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास की ओर सूचनार्थ ।
- 5 उपसचिव / पंजीयक,, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर की ओर सूचनार्थ
- 6 समस्त सहायक सचिव / कक्ष अधिकारी, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर एवं संभागीय अधिकारी,, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, बिलासपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ
- 7 समस्त प्राचार्य / प्राचार्या, अशासकीय मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं की ओर भेजकर सूचित किया जाता है कि छात्र / छात्राओं को मूलभूत सुविधाये उपलब्ध कराने के लिये उपरोक्तानुसार न्यूनतम मापदण्ड निर्धारित कर निर्देश जारी किये जा रहे है । कृपया सुनिश्चित करें की उपरोक्त मापदण्डों के अनुसार संस्था का संचालन किया जा रहा है। ऐसा न होने पर आगामी वर्ष की मान्यता पर विचार किया जाना संभव नहीं हो सकेगा ।



सचिव  
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल  
रायपुर



## छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा, मण्डल रायपुर

क्रमांक / ३२१४ / मान्यता / २०१२-१३

रायपुर, दिनांक २७/१२/१२

### ::आदेश ::

मान्यता उपसमिति की बैठक दिनांक १०.१२.२०१२ एवं ११.१२.२०१२ में लिये गये निर्णयानुसार आगामी सत्र से नवीन मान्यता हेतु निम्नानुसार शुल्क एवं तिथियां निर्धारित की जाती है :-

संक्र०	विवरण	निर्धारित शुल्क
०१	मान्यता शुल्क प्रतिवर्ष अ हाईस्कूल परीक्षा ब हायर सेकेंडरी परीक्षा	रु ३०००/- रु ४०००/-
०२	पंजीयन शुल्क नवीन मान्यता हेतु परीक्षावार केवल एक बार	रु ५०००/-
०३	निरीक्षण शुल्क नवीन मान्यता हेतु परीक्षावार केवल एक बार	रु १०,०००/-
०४	नवीन मान्यता आवेदन पत्र का मूल्य	रु १००/-

संस्थाओं को कक्षा ९ वीं/११ वीं कक्षा प्रारंभ करने के पूर्व निर्धारित तिथियों में निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित तिथियां निम्नानुसार है :-

- सत्र २०१३-१४ में कक्षा ९ वीं व सत्र २०१४-१५ हेतु १० वीं अथवा २०१३-१४ में कक्षा ११ वीं व सत्र २०१४-१५ में १२ वीं हेतु नवीन मान्यता आवेदन पत्र मण्डल में जमा करने हेतु निर्धारित तिथियाँ :-
  - साधारण शुल्क के साथ नवीन मान्यता आवेदन तिथि - ३१ मार्च २०१३
  - विलम्ब शुल्क रु ५०००/- के साथ अंतिम तिथि - ३० अप्रैल २०१३
  - अतिरिक्त विलम्ब शुल्क रु १००००/- के साथ - १५ मई २०१३
- सत्र २०१४-१५ कक्षा ९ वीं व सत्र २०१५-१६ में कक्षा १० वीं अथवा २०१४-१५ कक्षा ११ वीं व सत्र २०१५-१६ में कक्षा १२ वीं हेतु नवीन मान्यता आवेदन पत्र मण्डल में जमा करने हेतु निर्धारित तिथियाँ:-
  - साधारण शुल्क के साथ नवीन मान्यता आवेदन तिथि - ३१ दिसम्बर २०१३
  - विलम्ब शुल्क रु ५०००/- के साथ अंतिम तिथि - ३१ जनवरी २०१४
  - अतिरिक्त विलम्ब शुल्क रु १००००/- के साथ - १५ फरवरी २०१४

सचिव


छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल  
रायपुर

पृष्ठांकन क्रमांक/7228/मान्यता/2012-13

रायपुर दिनांक 27/12/12

प्रतिलिपि1

- 1 माननीय मंत्री महोदय, स्कूल शिक्षा के निजी सचिव की ओर सूचनार्थ ।
- 2 प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग/प्रमुख सचिव छत्तीसगढ़ शासन आदिम जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय रायपुर की ओर सूचनार्थ
- 3 आयुक्त/लोक शिक्षण/आयुक्त/आदिवासी विकास विभाग, की ओर सूचनार्थ
- 4 समस्त जिला शिक्षा अधिकारी/समस्त सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास की ओर कार्यालय में इस बाबत नोटिस चस्पा करने एवं प्रचार प्रसार करने बाबत ।
- 5 उपसचिव/पंजीयक,, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर की ओर सूचनार्थ
- 6 समस्त सहायक सचिव/कक्ष अधिकारी, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर की ओर सूचनार्थ
- 7 संभागीय अधिकारी,, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, बिलासपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ एवं इस बाबत कार्यालय में नोटिस चस्पा करने बाबत ।
- 8 सहायक सचिव, आवक कक्ष, की ओर कार्यालय में नोटिस चस्पा करने बाबत ।

  
सचिव  
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल  
रायपुर



# छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

दूरभाष क्रमांक-0771-3057038 फैक्स नं 0771-2429385

क्रमांक/7225 /मान्यता/2012-13

रायपुर, दिनांक 27/12/12

प्रति,

संचालक

लोक शिक्षण संचालनालय

रायपुर, छत्तीसगढ़

विषय :- नवीन संस्थाओं को विभागीय अनुमति प्रदान करने के संबंध में कार्यवाही विषयक ।

—000—

उपरोक्त विषय के संदर्भ में लेख है कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, द्वारा सत्र 2013-14 हेतु प्राप्त नवीन मान्यता के प्रकरणों पर कार्यवाही करते हुए उनका निरीक्षण कराया जाना है । मान्यता समिति की उपसमिति की बैठक में समिति के सदस्यों द्वारा यह बात ध्यान में लाई गई है कि नवीन मान्यता के प्रकरणों में संस्थाओं को विभागीय अनुमति नहीं होने के कारण मान्यता प्रकरण में विचार किया जाना संभव नहीं हो पाता है । कई संस्थाओं को विभागीय अनुमति विलंब से प्राप्त होती है जिसके कारण मान्यता की कार्यवाही में विलम्ब होता है एवं संस्थायें अवैधानिकरूप से कक्षयें संचालित करते हैं ।

इस कारण मान्यता की उपसमिति द्वारा सुझाव दिया गया है कि संस्थाओं के विभागीय अनुमति मण्डल में आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व जारी की जावें जिससे विभागीय अनुमति मिलने के पश्चात संस्थाएँ निर्धारित समयावधि में विभागीय अनुमति के साथ मान्यता हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकें । विभागीय अनुमति जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा कक्षा 9 वीं एवं 10 वीं तथा कक्षा 11 वीं एवं 12 वीं के लिये सत्र का उल्लेख करते हुए एक साथ जारी की जावें । उदाहरण के लिये यदि संस्था 1 जुलाई 2013 में कक्षा 9 वीं प्रारंभ करना चाहती है तो उसे सत्र-2013-14 में कक्षा 9 वीं एवं सत्र 2014-15 में कक्षा 10 वीं संचालन की विभागीय अनुमति एक साथ जारी कर दी जावें । जिससे मान्यता की कार्यवाही में विलम्ब नहीं होगा ।

मान्यता समिति द्वारा सत्र 2013-14 के लिये संस्थाओं को कक्षा 9 वीं व सत्र 2014-15 हेतु 10 वीं अथवा 2013-14 के के लिये 11वीं व सत्र 2014-15 के लिये 12 वीं हेतु नवीन मान्यता आवेदन पत्र मण्डल में जमा करने हेतु निम्नानुसार तिथि व विलम्ब शुल्क निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- |                     |   |   |
|---------------------|---|---|
| निर्धारित तिथियां - | 1 | साधारण शुल्क के साथ नवीन मान्यता आवेदन तिथि - 31 मार्च 2013 |
|                     | 2 | विलम्ब शुल्क रु 5000/- के साथ अंतिम तिथि - 30 अप्रैल 2013   |
|                     | 3 | अतिरिक्त विलम्ब शुल्क रु 10000/- के साथ - 15 मई 2013        |


सत्र 2014-15 के लिये संस्थाओं को कक्षा 9 वीं व सत्र 2015-16 हेतु 10 वीं अथवा 2014-15 के लिये 11वीं व सत्र 2015-16 के लिये 12 वीं हेतु नवीन मान्यता आवेदन पत्र मण्डल में जमा करने हेतु निम्नानुसार तिथि व विलम्ब शुल्क निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- निर्धारित तिथियां -
- 1 साधारण शुल्क के साथ नवीन मान्यता आवेदन तिथि - 31 दिसम्बर 2013
  - 2 विलम्ब शुल्क रु 5000/- के साथ अंतिम तिथि - 31 जनवरी 2014
  - 3 अतिरिक्त विलम्ब शुल्क रु 10000/- के साथ - 15 फरवरी 2014

मान्यता उपसमिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सत्र 2013-14 से संस्थाओं को मण्डल द्वारा कक्षा 9 वीं प्रारंभ करने के पूर्व मान्यता के प्रकरण पर कार्यवाही पूर्ण हो जावे जिससे कि छात्र मान्यता प्राप्त संस्थाओं से ही सम्मिलित हो सके । मान्यता की कार्यवाही में विलम्ब होने से छात्रों को अन्य मान्यता प्राप्त संस्थाओं में अनावश्यक रूप से संलग्नीकरण न करना पड़े ।

कई जिलों में संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत विभागीय अनुमति के आवेदन/शपथपत्र की छाया प्रति में प्राप्ति की सील लगा दी जाती है जिससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि विभागीय अनुमति दी गई है अथवा नहीं ।

अतः इस बाबत कक्षा एवं वर्ष का उल्लेख करते हुए विभागीय अनुमति जारी करने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी करें जिससे मंडल समय पर मान्यता प्रकरणों का निराकरण कर सके । ।

  
सचिव

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल  
रायपुर

रायपुर, दिनांक 27/12/12

पृष्ठांकन क्रमांक / 7226 / मान्यता / 2012-13

प्रतिलिपि

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

  
सचिव

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल  
रायपुर